न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, पाली
पीठासीन अधिकारी : श्री चन्द्रभान सिंह भाटी, आर.ए.एस.

विविध प्रकरण संख्या : 19/2019

GCMS No. : 2019/00068

प्रार्थी:–	बनाम	अप्रार्थीगण :–
दिलीपसिंह यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, पाली		1. प्रमोद कुमार पुत्र श्री मोहनलाल घांची मैसर्स मोहन ट्रेडर्स मैन मण्डिया रोड पाली 2. अंकुर जैन मैसर्स– श्री ट्रेडिंग कम्पनी वी–10 मण्डोर मण्डी जोधपुर 3. अनिल कुमार(नोमिनी) मैसर्स– करनानी सोलवेक्स प्रा0लि0 I-1st/7 44-46 Mandore Krishi Mandi Jodhpur 4. संजय कुमार करनानी (मालिक) मैसर्स करनानी सोलवेक्स प्रा.लि. M-8 Mahesh Nagar Colony Tonk Phatak Jaipur

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2(2) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 विनियम 2011

उपस्थित :–
अप्रार्थी संख्या 01 की ओर से अधिवक्ता श्री पीताराम परिहार

–: निर्णय :–

दिनांक :- 24.08.22

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2(2) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 विनियम 2011 के तहत अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रस्तुत किया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अधिवक्ता अप्रार्थी सख्या 01 की बहस सुनी गई।

प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में कथन किया कि प्रार्थी वर्तमान में खाद्य सुरक्षा अधिकारी के पद पर कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, पाली में पदस्थापित है। प्रार्थी दिनांक 19.05.2018 को दौराने गश्त अप्रार्थी संख्या 1 की फर्म मैसर्स मोहन ट्रेडर्स मैन मण्डिया रोड पाली पर गया। जहां पर अप्रार्थी संख्या 1 उपस्थित मिला, जिसे प्रार्थी ने अपना परिचय खाद्य सुरक्षा अधिकारी के रूप में देने पर अप्रार्थी संख्या 01 ने स्वंय को फर्म का मालिक होना बताया। अप्रार्थी की दुकान मोहन ट्रेडर्स मैन मण्डिया रोड पाली का निरिक्षण करने पर पाया कि दुकान में रिफाईन्ड मुंगफली तेल (ब्राण्ड हीरा पन्ना) के लगभग 08 पेक टीन रखे हुए थे प्रत्येक में 15 लीटर तेल रिफाईन्ड मुंगफली का तेल था। जिस पर मुंगफली तेल (ब्राण्ड हीरा पन्ना) लिखा हुआ था जो आमजन को बिक्री हेतु रखा हुआ था। जिसमें मिलावट का शक होने पर रूबरू गवाहान के सामने प्रपत्र 5 ए भरकर दिया व प्रपत्र 5 ए की दूसरी प्रति पर रसीद प्राप्त

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
पाली (राज.)

कर गवाहान व विक्रेता के हस्ताक्षर करवाए। अप्रार्थी संख्या 01 को यह बता दिया कि बिक्री हेतु रखे मुंगफली तेल (ब्राण्ड हीरा पन्ना) का नमुना वास्ते एफएसएसए एक्ट के अन्तर्गत जाचं हेतु नमुना ले रहा हुं। इसलिए विक्रेता मालिक व गवाहान कि उपस्थिति में मुंगफली तेल (ब्राण्ड हीरा पन्ना) जॉच हेतु टीन खुलवाकर 1600 ग्राम तेल क्रय कर जिसका मूल्य 160 रूपये नगद देकर रसीद प्राप्त की जिस पर मालिक एवं उपस्थित गवाह ने हस्ताक्षर किये। तथा दुकान से खरीदे गये मुंगफली तेल (ब्राण्ड हीरा पन्ना) 400–400 ग्राम तेल चार साफ सुखी शिशियां में जाचं हेतु भरकर नियमानुसार सीलबद्ध कर डीओ एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी पाली का कोड व क्रमांक आर–771 लिखा एवं नमुना का विवरण अंकित कर मालिक एंव गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं प्रार्थी स्वयं ने भी हस्ताक्षर किये एवं नियमानुसार सीलबंद मुहर कर अपने जाब्ते में लिया। विक्रेता अप्रार्थी संख्या 01 से बिल के बारे में पुछने पर बताया कि उक्त मुंगफली तेल (ब्राण्ड हीरा पन्ना) श्री ट्रेडिग कम्पनी जोधपुर से खरीदना बताया एवं जिसका बिल क्रमांक सी/00825 दिनांक 26.04.2018 मौके पर प्रार्थी को पेश किया। प्रार्थी द्वारा मौके पर मौका फर्द तैयार कि जिसे विक्रेता एवं गवाहान को पढकर सुनाकर हस्ताक्षर करने को कहा जिन्हाने स्वयं पढकर सुनकर एवं समझकर एवं सही मान हस्ताक्षर किये एवं स्वयं प्रार्थी ने भी हस्ताक्षर किये। उक्त समस्त कार्यवाही मौके पर ही की गई। अप्रार्थी संख्या 01 की फर्म से लिया गया मुंगफली तेल (ब्राण्ड हीरा पन्ना) का नमुना एंव फार्म संख्या 06 की प्रतिया स्वंय प्रार्थी द्वारा खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जोधपुर को जमा कर रसीद प्राप्त की। जिसके सन्दर्भ में डीओ एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी पाली के पत्र क्रमांक एफएसएसए/2018/16951–52 दिनांक 11.07.2018 एवं जाचं रिपोर्ट संख्या एलएस/374/एक्ट/2018/393 दिनांक 24.05.2018 के द्वारा प्राप्त जांच प्रतिवेदन में प्रार्थी द्वारा विक्रेता की फर्म से लिया गया मुंगफली तेल (ब्राण्ड हीरा पन्ना) का नमुना Sub-standard पाया गया। इस प्रकार अप्रार्थीगण 1. प्रमोद कुमार पुत्र मोहनलाल घांची मैसर्स मोहन ट्रेडर्स, मैन मण्डिया रोड पाली, 2. अंकुर जैन मैसर्स श्री ट्रेडिग कम्पनी वी–10 मण्डोर मण्डी जोधुपर, 3. अनिल कुमार मैसर्स करनानी सोलवेक्स प्रा0लि0 I-1st/7 44-46 mandore krishi mandi jodhpur, 4. सजंय कुमार करनानी मैसर्स करनानी सोलवेक्स प्रा.लि. M-8 mahesh nagar colony Tonk phatak Jaipur द्वारा Sub-standard मुंगफली तेल (ब्राण्ड हीरा पन्ना) का विनिर्माण एवं विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(2) का उल्लंघन किया है, जिसके लिये अप्रार्थीगण दोषी है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे एवं अप्रार्थीगण पर भारी से भारी जुर्माना अधिरोपित किया जावे।

अप्रार्थी संख्या 01 के अधिवक्ता ने वक्त बहस कथन किया कि प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा अप्रार्थीगण के विरूद्ध पेश प्रार्थना पत्र में वर्णित सभी आरोपों को निराधार बताते हुए खारिज योग्य है क्योंकि अप्रार्थी संख्या 01 की फर्म से लिया गया नमुना मुंगफली तेल (ब्राण्ड हीरा पन्ना) का निर्माण अप्रार्थी की फर्म/दुकान में नही होता है अप्रार्थी संख्या 01 उक्त मुंगफली तेल (ब्राण्ड हीरा पन्ना) थोक विक्रेता श्री ट्रेडिग कम्पनी वी–10 मण्डोर मण्डी जोधपुर से खरीद किया था जिसका बिल भी मौके पर खाद्य सुरक्षा

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
पाली (राज.)

अधिकारी को दे दिया था। जिसके निर्माता अप्रार्थी संख्या 03 व 04 है। अप्रार्थी संख्या 01 द्वारा थोक व्यापारी से जैसा माल खरीदा जाता है उसी रूप में आमजन को बिक्री किया जाता है उसमें किसी प्रकार का फैर बदल नही किया जाता है। अतः प्रार्थना पत्र खारिज किया जाकर कार्यवाही ड्रोप की जावें।

अप्रार्थी संख्या 03 ने न्यायालय में उपस्थित होकर लिखित में निवेदन किया कि अप्रार्थी के विरूद्व कार्यवाही ड्रोप करावे। हमने बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध मौका फर्द अनुसार प्रार्थी द्वारा दिनांक 19.05.2015 को अप्रार्थी संख्या 1 की फर्म से मुंगफली तेल (ब्राण्ड हीरा पन्ना) क्रय कर नियमानुसार नमूना कोड एवं क्रम संख्या आर–771 अंकित कर सीलबन्द किया गया तथा नियमानुसार प्रक्रिया अपनाते हुए जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जोधपुर भिजवाया गया। खाद्य विश्लेषक की रिपोर्ट क्रमांक/एल.एस./374/एक्ट/2018/393 दिनांक 24.05.2018 के अनुसार उक्त नमूना कोड संख्या आर–771 मुंगफली तेल (ब्राण्ड हीरा पन्ना) को sub-standard as it does not conform to the prescribed standards and provisions of Food safety and Standards (Food products Standards and Food Additives) regulation, 2011 माना है। अप्रार्थीगण द्वारा मुंगफली तेल (ब्राण्ड हीरा पन्ना) जो जॉच में Sub-Standard पाया गया है। इससे स्पष्ट है कि अप्रार्थीगण द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अध्याय 6 के नियम 26 (2) का उल्लंघन किया गया है, जो इसी अधिनियम के अध्याय 9 की धारा 51 के अन्तर्गत शास्ति योग्य है।

परिणाम स्वरूप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26 (2) (2) के तहत स्वीकार किया जाता है तथा अप्रार्थीगण द्वारा Sub Standrad खाद्य मुंगफली तेल (ब्राण्ड हीरा पन्ना) का निर्माण एवं विक्रय करने के कारण इसी अधिनियम की धारा 51 के तहत अप्रार्थी संख्या 1 पर 20,000/– अक्षरे बीस हजार रूपये मात्र, अप्रार्थी संख्या 02 50,000/– अक्षरे पच्चास हजार रूपये मात्र, एवं अप्रार्थी संख्या 03 पर 50,000/– अक्षरे पच्चास हजार रूपये मात्र, एवं अप्रार्थी संख्या 4 पर 50,000/– अक्षरे पच्चास हजार रूपये मात्र, कुल 1,70,000/– एक लाख सत्तर हजार रूपये मात्र की शास्ति आरोपित की जाती है, साथ ही अप्रार्थीगण को निर्देश दिये जाते है कि वे उक्त राशि राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मद "0210–चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य, 04–लोक स्वास्थ्य, 800 अन्य प्राप्तियां, (03) खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत अनुज्ञापत्र शुल्क आदि" में जमा करवा कर चालान की प्रति इस न्यायालय में प्रस्तुत करें। इस निर्णय की प्रतिलिपि अप्रार्थीगण एवं प्रार्थी को वास्ते पालनार्थ भिजवाई जावे। बाद पालना पत्रावली फैसल में शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(चन्द्रभान सिंह भाटी)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, पाली

निर्णय आज दिनांक 24.08.22 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(चन्द्रभान सिंह भाटी)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, पाली